

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क.9/नर्सिंग/सेल 1/2018/ 821

भोपाल, दिनांक 18/10/2018

प्रति,

समस्त,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/  
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश

विषय - नर्सिंग संवर्ग का डेटाबेस तैयार करने के संबंध में।

संदर्भ :- क. 9/नर्सिंग/सेल 1/225 भोपाल, दिनांक 01.03.2018 एवं क. 9/नर्सिंग/सेल 1/274  
भोपाल, दिनांक 13.03.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त नर्सिंग संवर्ग की जानकारी प्रेषित करने एवं HRMIS Software में प्रविष्ट कराये जाने के संबंध में पूर्व में संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था। परन्तु आज दिनांक तक सही एवं पूर्ण जानकारी आपके द्वारा HRMIS Software में प्रविष्ट नहीं कराई गई है। HRMIS Software में डॉटा अपडेशन कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की है, परन्तु आपके द्वारा यह पूर्ण नहीं किया गया।

2/ अतः उक्त कार्य संचालनालय स्तर से किया जाना है। इस हेतु आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ कार्यरत नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों का डाटा बेस तैयार करने हेतु संबंधित लिपिक को संचालनालय में उपस्थित करावें जो निम्नानुसार जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों एवं डॉटा बेस अपडेट करावें। अतः HRMIS Software में अपडेशन हेतु संबंधित लिपिक को संलग्न कार्यक्रम अनुसार निम्नलिखित जानकारी के साथ भेजना सुनिश्चित करें।

नर्सिंग शाखा :-

- I. 01.4.2018 की स्थिति में जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची सुधार हेतु पूर्व में प्रेषित पत्रानुसार समस्त जानकारी।
- II. नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये विभागीय प्रशिक्षण को वरीयता सूची के निर्धारित कॉलम में अंकित कर लावें।
- III. नर्सिंग संवर्ग के परिविक्षा संबंधी समाप्ति के संबंध में समस्त जानकारी।
- IV. नर्सिंग संवर्ग के समस्त न्यायालयीय प्रकरणों की जानकारी।
- V. नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी के सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, जिस पर कर्मचारी का वरिष्ठता क्रमांक अंकित करें (अति आवश्यक)।
- VI. नर्सिंग संवर्ग के अनाधिकृत अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी (01.10.2018 की स्थिति में)।
- VII. संस्थावार नर्सिंग संवर्ग के कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी।
- VIII. ए.एन.एम., एल.एच.व्ही. से जी.एन.एम. उत्तीर्ण होने के उपरान्त स्टाफ नर्स के पद पर पदोन्नत स्टाफ नर्स की जानकारी।
- IX. नर्सिंग संवर्ग अध्ययन अवकाश संबंधी जानकारी (पत्रक संलग्न)। जिला विदिशा, इन्दौर, गुना, रीवा, खरगौन, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर, भोपाल, अनूपपुर, दतिया, धार, छिंदवाडा, सीधी, खंडवा, मंडला, वैतूल।

- X. नियमित स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय के किस इकाई में पदस्थ है।  
 XI. संविदा स्टाफ नर्स की प्रथम नियुक्ति के समय योग्यता शासकीय अथवा निजी संस्थाओं से जी.एन.एम. / बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षित हैं की जानकारी सूची पृथक से प्रस्तुत करें।  
 XII. स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत पदस्थ स्टाफ नर्स की जानकारी।

**परिवार कल्याण शाखा:-**

- I. दिनांक 01.11.2018 की स्थिति में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के संस्थावार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी।
- II. दिनांक 01.11.2018 की स्थिति में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के जिला स्तरीय निर्धारित आरक्षण रोस्टर अनुसार, संवर्गवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी।
- III. दिनांक 01.11.2018 की स्थिति में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के रिक्त पदों के स्थान की जानकारी।
- IV. दिनांक 01.11.2018 की स्थिति में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के अतिशेष पदों के स्थान की जानकारी।
- V. दिनांक 01.11.2018 की स्थिति में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के अनाधिकृत अनुपस्थित, नियमित ए.एन.एम. की जानकारी।
- VI. दिनांक 01.11.2018 की स्थिति में परिवीक्षा अवधि में कार्यरत अनुपस्थित ए.एन.एम. की जानकारी ( संलग्न I से VI)

3/ संबंधित को उपस्थित होना अनिवार्य है उनके लिए तिथि बदलना या अनुपस्थिति के संबंध में अपने स्तर पर निर्णय न लें। यदि इसमें पूर्णतः समयबद्ध तिथियों में पालन नहीं होता है तो यह सुनिश्चित कर लें की किसी भी प्रकार की पदस्थापना/रिक्तियों के संबंध में मांग न करें। इसके पश्चात् अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रकरण का निराकरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

4/ अधिनस्थ पदस्थ संबंधित लिपिक को, संबंधित जिले के सी.एम.ओ/सी.एस के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जाना होगा, कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त प्रविष्टियाँ/जानकारी सही है। यदि HRMIS Software का डॉटा अपूर्ण रहता है या जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित जिले के सी.एम.ओ/सी.एस. जिम्मेदार होंगे तथा आपका नाम अपर प्रमुख सचिव के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
(रुही खान)


अपर संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/10/2018

पृ.क.9/नर्सिंग/सेल 1/2018/822  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
2. समरत, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ जिलों में संबंधित जानकारी तैयार कराकर निर्धारित तिथी पर लिपिक के हस्ते संचालनालय को भेजने हेतु निर्देशित करें।
3. प्राचार्य नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन, जबलपुर, प्रभारी प्राचार्य जी.एन.एम. समरत की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ पदस्थ समस्त नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों की जानकारी तैयार कर सी.एम.ओ.एच.ओ./सी.एस. कार्यालय में पदस्थ लिपिक को उपलब्ध करावें।

  
अपर संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

क्र०	जिले का नाम	संचालनालय में उपस्थित होने की दिनांक को समय प्रातः 10:30 बजे से
1	बैतूल, हरदा	25.10.18
2	रायसेन, राजगढ़	26.10.18
3	होशंगाबाद, खडवा	27.10.18
4	विदिशा, अलीराजपुर	29.10.18
5	बडवानी, इंदौर	30.10.18
6	बुरहानपुर, धार	31.10.18
7	झाबुआ, खरगौन	01.11.18
8	रीवा, सतना	02.11.18
9	सीधी, शहडोल	03.11.18
10	भोपाल, सीहोर	05.11.18
11	उमरिया, अनूपपुर	06.11.18
12	सिंगरौली, उज्जैन	12.11.18
13	देवास, शाजापुर	13.11.18
14	रतलाम, मंदसौर	14.11.18
15	नीमच, आगरमालवा	15.11.18
16	सागर, दमोह	16.11.18
17	पन्ना, छतरपुर	19.11.18
18	टीकमगढ़, ग्वालियर	20.11.18
19	गुना, शिवपुरी	22.11.18
20	अशोकनगर, दतिया	24.11.18
21	भिण्ड, मुरैना	26.11.18
22	श्योपुर, जबलपुर	27.11.18
23	बालाघाट, छिंदवाडा	28.11.18 4/12/18
24	नरसिंहपुर, सिवनी	29.11.18
25	मंडला, डिण्डोरी	30.11.18
26	कटनी	01.12.18